ce action
th date

न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

विविधवाद संख्या–02/2023 धारा 144द0प्र0स0

सुरेश ठाकुर वनाम कैलाश ठाकुर

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	18/3/023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद थाना प्रभारी चिनियां अप्राथमिकी संख्या 01/2023 द्वारा यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
बिलैती खैर	पु0 14 न0 135	पु0 718 न0 935	0.10	रास्ता	दमनदीप	रास्ता	चन्द्रिका वगैरह
	पु0 14 न0 135	पु0 716 न0 997	$0.26\frac{1}{4}$	भोला राम	रास्ता	भोला राम	चन्द्रिका ठाकुर वगैरह

प्रथम पक्षकार का कहना है कि भूमि का मांग पूर्ण से पुराना खाता प्लौट के अनुसार विक्रेता मखोला कुवंर के स्व0 पति के नाम से से चलता आ रहा है। वर्तमान हाल सर्वे में भी यह भूमि खाता 135 के अन्तर्गत दर्ज हुआ है। खाता अनावाद बिहार सरकार के नामे दर्ज हो गया है। लेकिन हाल सर्वे खतियान मं प्लौट 935 रकबा 1.10 एकड़ दखल कबजा रामवृक्ष ठाकुर वगैरह के नामे दर्ज है। जिसका ऑफलाईन मांग विक्रेता के स्व0 पति वगैरह का नाम चलता था। रामवृक्ष ठाकुर वगैरह के नामे इस दर्ज भूमि जो खाता संख्या 135 प्लौट संख्या 997 की 1.10एकड़ है। चारों भाई बराबर–बराबर 1/4 का हिस्सा होता है। इसी पर प्रथम पक्षकार 1/4 हिस्सेदार होता है इसी के लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। थाना प्रभारी चिनियां द्वारा जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है। प्रथम पक्षकार 1/4 का हिस्सा पर कब्जा चला आ रहा है। अतः अन्त अनुरोध करते है कि इस वाद में जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष सुरेश ठाकुर से हटाया जाना तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा अत्यांतिक किया जाए।

द्वितिय पक्षकार का कहना है कि पुराना खाता संख्या 14 वो प्लौट संख्या 726 रकबा 1.10 एकड़ है। उदय ठाकुर वो मनोज ठाकुर पिता कैलाश ठाकुर को भू–दान से प्राप्त है। जिसका नया खाता सं0 997 है जो 7.00 एकड़ बना है। जिसका चौहदी उ0 भोला पासवान द0 रास्ता पु0 भोला पासवान प0 नीज है। लेकिन द्वितीय पक्षकार द्वारा भू–दान को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः अन्त में अनुरोध करते है कि उक्त वाद में द्वितीय पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाए तथा प्रथम पक्ष पर निषेधाज्ञा रखा जाए। उक्त वर्णित भूमि अनावाद बिहार सरकार दर्ज है। इस वाद की कार्यवाही की समय सीमा समाप्त हो गई है। धारा 144 द0प्र0स0 की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

18.3.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:18:53 +05:30
Location: 10.93.21.244